SST No.51/ 2017
Crime No1773/2014
State VsRamgopal Ors
U/s 323/34, 504 I.P.C. &
3(1)(10) sc/st Act

UPPB010006632017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 51/2017

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. रामगोपाल पुत्र सोवरन लाल, भुर्जी,
2. श्रीमती माया देवी पत्नी रामगोपाल,

निवासी गायबोझ, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 1773/2014
अंतर्गत धारा– 323/34 व 504
भा0दं0सं0 एवं धारा
3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–सुनगढ़ी,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी के विरूद्ध पुलिस थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 323 व 504, भा0द0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया, तत्पश्चात यह पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश सं. 40/17 दिनांकित 04.02.2017 के अनुपालन में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से अंतरित होकर दिनांक 02.03.2017 को इस न्यायालय को विचारणार्थ प्राप्त हुई। अतः इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323/34 व 504 भा.द.सं. व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विरचित किये जाने पर उक्त अभियुक्तगण का उक्त धाराओं में विचारण किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2014 शाम समय करीब 5 बजे उसकी लड़की दीपमाला उम्र करीब 12 साल अपनी भाई की पीटने की शिकायत करने रामगोपाल पुत्र सोवरन व रामगोपाल की पत्नी नाम नहीं मालूम निवासी ग्राम गायबोझ थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत उनके घर गयी थी, जिसको रामगोपाल व उसकी पत्नी ने काफी मारापीटा है, जल्दी में वह थाने आया था और डाक्टरी कराने को कहा था तथा डाक्टरी कराने को कहां था तथा कानूनी कार्यवाही कराने को कहां था। थाने के द्वारा उसकी लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.07.17 17:03:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया, लड़की अभी भी अस्पताल में भर्ती है। वह धानुक जाति का है तथा विपक्षी भुर्जी जाति का है।

(3) वादी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 1773/2014, अंतर्गत धारा 323 भा.द.सं. व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण रामगोपाल व रामगोपाल की पत्नी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। थाना हाजा की पुलिस द्वारा मजरूब चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षीगण के बयानात लिये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया। विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकतापूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323 व 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी. अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया, तत्पश्चात यह पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश के अनुपालन में अवर न्यायालय से इस न्यायालय को अंतरण होकर विचारणार्थ हेतु प्राप्त हुआ।

(4) अभियुक्तगण रामगोपाल व मायादेवी के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(10)एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2017 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 राजेश कुमार (वादी), पी.डब्लू. 2 रूकमणी देवी,(एफ.आई.आर. लेखक), पी.डब्लू. 3 सुबेग सिंह सिद्धू से.नि.(विवेचक)व पी.डब्लू. 4 डा. निशीकान्त गुप्ता(चिकित्सीय डाक्टर) को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन प्रपत्र**
1	पी.डब्लू. 1	राजेश कुमार	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	का. रूकमणी देवी	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट कायमी जी.डी. 36
3	पी.डब्लू. 3	सुवेग सिंह सिद्धू	प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5	नक्शानजरी आरोपप पत्र
4	पी.डब्लू. 4	डा. निशीकान्त गुप्ता	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7	चिक्त्सीय रिपोर्ट पूरक रिपोर्ट

(7) अभियोजन की ओर उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अन्य किसी भी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है, तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गय।

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण के बयान के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है और कुछ नहीं कहना है। उनके विरूद्ध झूठा व रंजिशन मुकदमा चला है, वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा की पुत्री दीपमाला के साथ मारपीट कर चोटे पहुंचाने, गंदी गंदी गालियां देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। प्रस्तुत मामले में मजरूबा की मृत्यु न्यायालय में साक्ष्य अंकित किये जाने से पूर्व हो चुकी है। साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित होता है तथा पत्रावली पर मजरूबा की इंजरी रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक साबित है। औपचारिक साक्षीगण द्वारा अपने अपने प्रपत्रों को साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले की मजरूबा दीपमाला को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथित घटना के समय मौके पर होने से इन्कार किया गया है। साक्षी पी.डब्लू. 4 चिकित्सीय डाक्टर है, जिसके द्वारा इंजरी रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट को साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय रिपोर्ट से दर्शित है कि मजरूबा के कोई चोट आना अंकित नहीं है मात्र दर्द की शिकायत बतायी है। घटना का कोई चक्षुदर्शी जनसाक्षी नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियुक्तगण पर धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(10)एस0सी0/एस0टी0 अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा राजेश कुमार की पुत्री दीपमाला के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, साशय अपमानित करने के आशय से गालियां देने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है।

(13) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 राजेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' घटना के समय मैं अपनी ससुराल ग्राम नगरिया, थाना नवाबगंज, जिला बरेली में रहता था। वहीं पर कबाब बनाकर बिक्री का काम करता था। मेरी पत्नी इन्द्रजीत भी मेरे साथ रहती थी। कभीकभार गायबोझ घर पर आ जाता था। मेरे पिता छविनाथ भी फैरी लगाकर कबाव की बिक्री किया करते थे। मेरे पिता छविनाथ शाम को घर वापस आ जाते थे। मेरी मां मुन्नी देवी घर पर थी। दिनांक 22.09.2014 समय करीब 5 बजे शाम की घटना है कि

मेरी पुत्री दीपमाला व मेरा लड़का राजाराम घर पर ही थे। रामगोपाल के मकान के सामने खाली पड़ी जगह में मेरी लड़की दीपमाला व लड़का राजाराम साईकिल चला रहे थे। साईकिल गिर गयी तभी रामगोपाल के लड़के अजय ने मजाक बनाया, इसी बात पर मेरी लड़की दीपमाला व अजय से कहासुनी हो गयी। कहासुनी सुनकर रामगोपाल की पत्नी माया देवी व रामगोपाल ने दीपमाला को मारापीटा। इस घटना की सूचना मुझे मिली। सूचना पर मैं तुरंत अपने घर गांव गायबोझ आया, मैं अपनी पत्नी के साथ इस घटना की शिकायत करने रामगोपाल के घर पर गया, तभी रामगोपाल व उसकी पत्नी माया देवी मुझे गंदी गंदी गाली देने लगे, कहने लगे कि सालो धनकुट्टो तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। मैं धानुक अनुसूचित जाति का हूॅ। रामगोपाल व मायादेवी भुर्जी जाति के है। मारपीट में मेरी पुत्री के चोट आयी थी, जिला अस्पताल पीलीभीत में कई दिन तक भर्ती रही। उसी दिन शाम को थाना सुनगढ़ी रिपोर्ट लिखाने गया। मैं थाना सुनगढ़ी अपनी पुत्री दीपमाला को भी थाने रिपोर्ट लिखाने गया था। उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस ने कहा कि पहले इसका इलाज करवाओ, तब थाने से पी.आर.डी. जवान हम लोगों को लेकर जिला चिकित्सालय लेकर गया, वहां पर मेरी पुत्री को भर्ती करा लेकर गया। मेरी पुत्री दीपमाला की कुछ हालत ठीक होने पर मैं दिनांक 25.09.2014 को थाने पर जाकर तहरीर दी, जिस पर मुकदमा कायम हुआ। तहरीर पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जो मेरे ही द्वारा लिखी गयी। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। गवाह को तहरीर पढ़कर सुनायी, तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने थाने पर दी थी। मेरी पुत्री दीपमाला के गर्दन व पेट में चोट आयी थी। सीओ. साहब ने मेरा बयान लिया था। सी.ओ. साहब ने घ ाटनास्थल का निरीक्षण किया था व नक्शानजरी बनाया था। मुल्जिम रामगोपाल व मायादेवी हाफिर अदालत है।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि ''घटना 22.09.2016 की है। घटना दिन की है। शाम 5 बजे की है। मेरे चार बच्चे है, बड़ी लड़की दीपमाला जिसकी उम्र इस समय करीब 16 साल है, इससे छोटा लड़का राजाराम है, उसकी उम्र इस समय करीब 12 साल है। तीसरा बच्चा मोहित उसकी उम्र इस समय 10 वर्ष होगी और चौथा बच्चा गंगा देवी है, उसकी उम्र इस समय 8 वर्ष है। मैं कचरी कबाव का काम करता हूॅ। घटना के समय मैं अपनी ससुराल भूड़ा नगरिया थाना नवाबगंज जिला बरेली में कचरी कवाव का काम करता था, गायबोझ से मेरी ससुराल की दूरी 37 किलोमीटर है, आवागमन हु मेरे पास मोटरसाईकिल पहले से ही है। रामगोपाल के एक लड़का चार लड़किया है। बड़ी लड़की की उम्र इस समय 17 वर्ष है, बाकी सभी बच्चों में दो–दो साल का अंतर है। मेरा घर और राम गोपाल का घर पड़ोस में है। खाली जगह पर मेरे बच्चे व रामगोपाल के बच्चे व गांव के अन्य बच्चे खेलते है। घटना वाले दिन भी बच्चे मेरे बच्चे व रामगोपाल के बच्चे व गांव के अन्य बच्चे खेल रहे थे। मेरे बच्चे साईकिल चला रहे थे। घटना वाले दिन मैं गांव में नहीं था, अपनी ससुराल में था। मेरे सामने कोई मारपीट हुयी न मेरे सामने कोई घटना हुयी। घटना घटने के एक घंटे बाद में अपने घर आ गया, जब मैं आया, तो देखा कि चोट नहीं थी लड़की बेहोश थी। मैं लड़की को लेकर थाने गया, फिर कहा थाने नहीं गया। थाने गये रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, उसके बाद मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लड़की को मेरे आने के दो घंटे बाद होश आ गया, लड़की ने मुझे कोई बात नहीं बतायी। यह पूरी घटनाक्रम मोहल्ला वालों ने बताया, चूंकि मैं घटनास्थल पर नहीं था।''

(14) इस प्रकार साक्षी प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक को दीपमाला व उसका लड़का राजाराम घर पर ही थे। रामगोपाल के मकान के सामने खाली पड़ी जगह में उसकी लड़की

दीपमाला व लड़का राजाराम साईकिल चला रहे थे। साईकिल गिर गयी, तभी रामगोपाल के लड़के अजय ने मजाब बनाया, इसी बात पर उसकी लड़की दीपमाला व अजय में कहासुनी हो गयी। कहासुनी सुनकर रामगोपाल की पत्नी माया देवी व रामगोपाल ने दीपमाला को मारापीटा इस घटना की सूचना उसे मिली थी। घटना की शिकायत करने पर रामगोपाल के घर गया, तो रामगोपाल व उसकी पत्नी माया देवी ने उसे गंदी गंदी गाली देने लगे। मारपीट में उसकी पुत्री के चोट आयी थी, जिला अस्पताल पीलीभीत में कई दिन तक भर्ती रही। उसकी पुत्री दीपमाला के गर्दन व पेट में चोट आयी थी, जबकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि घटना वाले दिन वह गांव में नहीं था, अपनी ससुराल में था। उसके सामने कोई मारपीट हुयी, न उसके सामने कोई घटना हुयी। घटना घटने के एक घंटे के बाद वह अपने घर पर आ गया था, जब वह आया तो देखा कि चोट नहीं थी, लड़की बेहोश थी। लड़की के होश आने पर उसने उसे कोई बात नहीं बतायी थी। उसे पूरा घटनाक्रम मोहल्ले वालों ने बताया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह कथित घटना के समय मौके पर नहीं था, उसे मोहल्ले वालों ने घटना के बारे में बताया। स्वयं मजरूबा द्वारा भी उसे कुछ नहीं बताया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्वयं को अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं वादी के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है।

(15) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 का. रूकमणी देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' मैं दिनांक 25.09.2014 को बतौर का.क्लर्क थाना सुनगढ़ी में तैनात थी। इस दिन वादी राजेश कुमार एक किता तहरीर लेकर थाना हाजिर आया था। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर एफ.आई. आर. किता की थी, जो तहरीर के आधार पर अंकित की थी एवं मुकदमे का खुलासा जी.डी. में रपट नं. 36 समय 15:10 बजे एक ही क्रम में तैयार की थी। एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–2 एवं नकल रपट पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उक्त एफ.आई.आर. मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मैं आज मूल जी.डी. को लेकर नहीं आयी हूँ। वादी ने तहरीर देकर मुकदमा लिखाया, मुझे याद नहीं है कि वादी तहरीर लेकर अकेला आया था या साथ में कोई और भी आया था। वादी ने तहरीर किससे लिखवाई थी व कहां लिखवाई थी। मुझे नहीं मालूम। उक्त मुकदमा एस.एच.ओ. महोदय के मौखिक ओदश से पंजीकृत किया था। ये कहना गलत है कि उक्त मुकदमा एंटी टाईम दर्ज किया हो। ये कहना भी गलत है कि मैं एस.एच.ओ. के मातहत होने के कारण दबाव में मुकदमा लिखा हो।'' इस प्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य का समेकित रुप से मूल्यांकन किए जाने पर इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(15) अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू–3 सुबेग सिंह सिद्धू,** जोकि एक औपचारिक पुलिस साक्षी एवं विवेचक है, इस साक्षी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र को नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रुप में साबित किया और अपनी जिरह में यह कहा है कि मुकदमा लिखे जाने के एक दिन बाद मुझे विवेचना मिली। घटना दिनांक 22.09.2014 की है, मुकदमा दिनांक 25.09.2014 को पंजीकृत हुआ है। मैंने घटना के 4 दिन बाद विवेचना ग्रहण की। मैं घटना स्थल पर एक बार गया था। मैंने घटना स्थल के आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली थी। घटना स्थल के आसपास के लोगों में से मीना देवी व गुरप्रीत ने मुझे घटना की जानकारी दी थी। मीना देवी ने मुझे बताया था कि झगड़ा मेरे सामने हुआ था। मुझे बताया गया था कि झगड़ा बच्चों–बच्चों में शुरू हुआ था, जोकि बड़ों

तक पहुॅच गया था। घटनास्थल से थाना लगभग 5–6 कि.मी. दूर है। मैंने गुड्डी और गुरप्रीत के व्यान दिनांक 30.09.2014 को लिये थे। मैं घटनास्थल पर दिनांक 30.09. 2014 को गया था। मैंने मीना व गुरप्रीत के व्यान घटना स्थल पर ही लगभग 3–4 बजे लिये थे। मीना व गुरप्रीत के घर घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। मैंने इनके अलावा आसपास के लोगों व गांव में इस घटना की जानकारी नहीं ली थी। मैंने यह जानकारी ली थी कि लड़ाई झगड़ा किस बात से हुआ था। दीपमाला साइकिल चला रही थी, साइकिल गिर गयी थी, जिसपर रामगोपाल के लड़का व लड़की हंसने व चिढ़ाने लगे। इसके अतिरिक्त और कोई लड़ाई झगड़े की वजह नहीं थी न ही इनकी आपस में कोई दुश्मनी थी। मैंने व्यान वादी राजेश व पीड़िता दीपमाला का व्यान दिनांक 30.09.2014 को घटना स्थल पर ही लिया था। वादी मुकदमा ने बताया था कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था, सूचना पाकर बाद में आया था। किसने वादी को सूचना दी यह मुझे जानकारी नहीं है, न ही मैंने सूचना देने वाले का कोई व्यान दर्ज किया। मैंने मा. न्यायालय में किसी बच्चे का व्यान दर्ज नहीं कराया था। यह कहना गलत है कि बच्चों के आपस में हंसी मजाक को लेकर कहा सुनी हुयी थी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि वादी के मौके पर न होने के कारण लोगों के बहलाने फुसलाने पर वादी ने गलत मुकदमा लिखा दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने गलत विवेचना की हो। इस प्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य का समेकित रुप से मूल्यांकन किए जाने पर भी अभियोजन कथानक साबित नहीं हो रहा है।

(16) अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू–4 डा. निशीकांत गुप्ता,** जोकि एक औपचारिक साक्षी एवं डाक्टर है, इस साक्षी ने मजरूबा दीपमाला का चिकित्सीय परीक्षण किया है तथा मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 व पूरक रिपोर्ट को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया और अपनी जिरह में यह कहा है कि प्रश्नः–क्या उदर में दर्द की शिकायत किसी चोट के कारण थी। उत्तर :– कह नहीं सकता लेकिन चोट का कोई निशान नहीं पाया गया। प्रश्नः–अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट के अनुसार क्या पाया गया। उत्तर :–अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट सामान्य पायी गयी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से मजरूबा दीपमाला के कोई चोट नहीं पायी गयी है। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक साबित नहीं हो रहा है।

(17) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले की मजरूबा दीपमाला की मृत्यु दिनांक 13.06.2020 को स्वयं द्वारा आत्महत्या करने के कारण हो गयी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मुक्तिधाम समिति(रजि.)पीलीभीत के दाहसंस्कार प्रमाण पत्र से होती है। प्रस्तुत मामले में मजरूबा दीपमाला की मृत्यु न्यायालय में साक्ष्य अंकित किये जाने से पूर्व हो चुकी है। वादी द्वारा अपनी तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक रूप से किन जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है, का उल्लेख नहीं किया गया है। इस स्तर पर अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में मात्र पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है तथा अभियोजन की ओर से कथित घटना के किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस स्तर पर पत्रावली पर कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम का अपराध कारित किये जाने एवं कथित घटना कारित किये जाने के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

(18) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

> आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(19) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण 51/2017, मुकदमा अपराध संख्या 1773/2014 में अभियुक्तगण रामगोपाल व माया देवी को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल जमानते अगले छह माह तक लिए प्रभावी रहेंगे और अभियुक्तगण तथा उनके जामिनान उक्त जमानत से अबाध्य रहेंगे।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

दिनांकः 17.07.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

दिनांकः 17.07.2026